राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,जोधपुर 342032

क्रमांकःएफ–5(1–बी)प्राशिनि / ई–2 / 2020–21 / दिनांकः

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।	प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।

विषयः वर्ष 2020–21 में सह शिक्षा एंव महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2020–21 में राजकीय सह शिक्षा एंव महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य सरकार के पत्रांक प.18(5)त.शि / 2004 दिनांक 13.5.14 की पालना में विद्यार्थियो से ली जाने वाली शुल्क संरचना में परिवर्तन किया गया है। जिसका गत तीन वर्षो का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में से 400 / –रूपये प्रति छात्र की दर से राजकीय मद में जमा होगी। शिक्षण शुल्क की शेष राशि संस्थान विकास कोष में जमा होगी :–

मद	2018–19	2019–20	2020–21
राजकीय खाता			
प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	-	-	200
शिक्षण शुल्क *	4150.00	4150.00	4150.00
अराजकीय खाता			
विविध मद	1000.00	1000.00	1000.00
पुस्तकालय खुली पुस्तके (ओपन एक्सेस) शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00
विद्यार्थी क्लब / सभी शुल्क	500.00	500.00	500.00
खेलकूद शुल्क	500.00	500.00	500.00
विकास शुल्क	4150.00	4150.00	4150.00
अवधान द्रव्य छात्रों के लिए (केवल प्रवेश के समय)	1000.00	1000.00	1000.00
अवधान द्रव्य सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं के लिए (केवल प्रवेश के समय)	500.00	500.00	500.00

नोटः–

- *राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेशित महिला / राज्य कर्मचारियों के आश्रित (जो आयकर नहीं देते) अनु. जाति / अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार सत्र 2001–2002 से विकास शुल्क में रूपये 500 / – (रूपये पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की वृद्धि की गई थी। इसका उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय / साफ्टवेयर क्रय / मरम्मत एंव क्रमोन्यन में नियमानुसार किया जावें।
- शुल्क (दो किश्तों में) सत्र के प्रारम्भ व सत्र के मध्य में लिया जावेगा ।
- विविध मद में ली जाने वाली राशि में से विद्यार्थियों की बीमा राशि भी सम्मिलित है।
- कोविड–19 के चलते विद्यार्थी अध्ययनरत् संस्थान के बचत खाते में रोकड़ / बैंकर चैक / डी.डी. / एन.ई.एफ.टी के माध्यम से शुल्क जमा करवायेगे तथा राशि जमा करवाने का पूर्ण विवरण सहित संस्थान को किसी भी माध्यम से उपलब्ध करवायेगे।
- प्रधानाचार्य की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि प्राप्त शुल्क को विविध मदो में समायोजित कर जमा करे।

भवदीय,

ह०/-

स. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांकःएफ–5(1–बी)प्राशिनि / ई–2 / 2017–18 / 7304 - 7311
दिनांकः– 07/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.18(5)त.शि / 2004 दिनांक 13.5.14 के कम में।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारिण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय खैतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान ,जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, / सहायक निदेशक (सांख्यिकी) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एंव प्रधानाचार्य,राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,जोधपुर / जयपुर / महिला जयपुर।

स निदेशक प्राविधिक शिक्षा